E-mail : info@barcouncilofindia.org Website : www.barcouncilofindia.org



Tel.:(91) 011-4922 5000 Fax:(91) 011-4922 5011

## भारतीय विधिज्ञ परिषद् BAR COUNCIL OF INDIA

(Statutory Body Constituted under the Advocates Act, 1961)

21, Rouse Avenue Institutional Area, Near Bal Bhawan, New Delhi - 110002

BCI: D: 508/2019 (LE/Afflin)

Dated 06.07.2019

To,

The Registrar, Ch.Charan Singh University, Meerut, Uttar Pradesh

Sub: Extension of provisional temporary approval of affiliation to following law colleges for the academic year 2019-2020.

Sir,

This is with reference to above mentioned subject regarding extension of provisional approval of affiliation to the **following law colleges** which has already applied for extension of approval of affiliation for the academic year 2019-20 and wherein the inspection of the Bar Council of India is pending at the moment or wherein after inspection, the report of the inspection committee is awaited.

The matter relating to colleges similarly placed were considered by the Bar Council of India at its meeting held on 19<sup>th</sup> May 2019. The resolution passed was as follows:

"RESOLVED that colleges whose inspection fee has been deposited, application for extension of approval of affiliation is pending, no inspection could be done or the inspection has been done, but inspection report could not be placed before the Legal Education Committee or the Standing Committee for its consideration, then such colleges may continue to admit students only for the academic year 2019-2020. This will apply only in case where affiliation has been granted by the University which of course shall be subject to the inspection to be made by the Bar Council of India subsequently."

Clan

Contd.../-

Typed by: MJ
Fee and G.A Checked By

Since your university has given affiliation for the year 2019-2020 to the **following law colleges**, you are requested to allow **them** to admit students in concerned course/s with existing sections for the academic year 2019-2020.

There are other law colleges, who may have received affiliation by you for the year 2019-20, which may not find mention here as some law colleges have been granted individual approval letters too.

This is being sent in a batch due to your conveniences, We shall follow it up with names of other colleges as and when we approve of the same.

Admission process may be allowed only for those law colleges who have been approved by Bar Council of India including the batch names of the colleges mentioned below and or those law colleges who have been otherwise issued individual approval letters.

Copy to:

S.No.	Name of law colleges	Law Courses
1.	The Principal,	Five Year BA LL.B
	NIMT Vidhi Avam Kanoon Sansthan,	
	Knowledge Park – 1, Plot No. 41,	
	Kasna, Road, Pari Chowk,	
	Greater Noida – 201308	
	Uttar Pradesh	
2.	The Principal,	Three Year LL.B
	Doon College of Law	Five Year BA LL.B
	Vill. & P.O. Sunderpur,	
	Tehsil Behat, Distt. Sahranpur,	
	Uttar Pradesh - 247662	
3.	The Principal,	Three Year LL.B
	Indraprastha Law College,	Five Year BA LL.B
	Knowledge Park – III, Greater Noida,	
	Gautam Budh Nagar - 201308	
	Uttar Pradesh	

Cylon

This is for your information and necessary action.

Note - Your University is requested to kindly verify the authenticity of the attached affiliation order submitted by the college and revert back to the Bar Council of India through e — mail as soon as possible.

Note – (1) That w.e.f 21.05.2016 the inspection fee for LL.B three year and five year regular course is Rs. 3 lacs for each course and for the Honours course it is Rs. 5 lacs, while the application fee is Rs. 50,000/- and the guarantee amount is Rs. 5 lacs.

Very important: - Please, henceforth ensure to send any compliance affidavit/ reply and affiliation orders separately to <a href="mailto:complianceaffiliationle@gmail.com">complianceaffiliationle@gmail.com</a>, apart from copying it to <a href="mailto:dlebci@gmail.com">dlebci@gmail.com</a> please do not send any email/s to <a href="mailto:proledepartment@gmail.com">proledepartment@gmail.com</a>

For any other query/ies you may send e-mail/s to dlebci@gmail.com

[N. Senthil Kumar]

Asst. Secretary (H.O.D)

Yours sincerely

[Srimanto Sen] Secretary

Typed by: MJ
Fee and G.A Checked By

# चौधरी चरणसिंह विश्वविद्यालय, मेरठ

Ch. Charan Singh University, Meerut



पत्रांक : सम्बद्धता / 1550 दिनांक: 4.7.2017

सम्बद्धता आदेश

असाधारण गजट नोटिफिकेशन संख्या—975/79—वि—1—14—1(क)19/2014 दिनांक 18.07.2014 द्वारा उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम, 1973 (यथासंशोधित उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय संशोधन अधिनियम, 2007) की धारा-37(2) के परन्तुक के अधीन एन0आई०एम०टी० विधि एवं कानून संस्थान, नॉलेज पार्क-1, प्लाट नं0-41, कासना रोड, परी चौक, ग्रेटर नोएडा को विधि संकायान्तर्गत स्नातक स्तर पर एल-एल०बी० (पाँच वर्षीय) पाठ्यक्रम में स्ववित्त पोषित योजनान्तर्गत कितपय शर्तों के अधीन दिनांक 01.07.2017 से आगामी पाँच वर्ष हेतु सम्बद्धता की पूर्वानुमित प्रदान की गयी हैं। 01. संस्था द्वारा उ०प्र० राज्य विश्वविद्यालय (संशोधन) अध्यादेश, 2003 द्वारा मूल अधिनयम, 1973 की धारा-37(2) में प्राविधानित परन्तुक के अनुसार सम्बद्धता प्राप्ति की तिथि से एक वर्ष की अवधि में सभी निर्धारित मानकों को पूर्ण कर

लिया जायेगा अन्यथा अगले शैक्षणिक वर्ष में छात्रों का प्रवेश प्रतिबन्धित रहेगा।

कतिपय संस्थानों / महाविद्यालयों के सशर्त सम्बद्धता / सम्बद्धता की पूर्वानुमित के निर्गत आदेशों में इंगित किमयों यथा—प्राभूत का नवीनीकरण, अग्निशमन प्रमाण पत्र का नवीनीकरण व एन०बी०सी० प्रमाण पत्र सक्षम स्तर से निर्गत न होने की किमी का निराकरण किये जाने में यदि समय लगना सम्भावित हो तो विश्वविद्यालय उक्त महाविद्यालय के 02. सम्बद्धता आदेश तत्काल निर्गत करते हुए उपरोक्त कमियों की पूर्ति से सम्बन्धित अभिलेख महाविद्यालयों से एक माह में

संस्थान / महाविद्यालय सशर्त सम्बद्धता / सम्बद्धता आदेश में इंगित कमियों की पूर्ति कर लेगा एवं विश्वविद्यालय के 03. कुलसचिव को इस आशय का प्रमाण पत्र प्रतिवर्ष प्रेषित करेगा कि संस्थान/महाविद्यालय सम्बद्धता की शर्ते निरन्तर पूरी कर रहा है।

संस्था शासनादेश संख्या-2851 / सत्तर-2-2003-16(92) / 2002 दिनांक 2 जुलाई 2003 में उल्लिखित दिशा-निर्देशों 04. एवं इस विषय में समय-समय पर निर्गत शासनादेशों का पालन करेगी।

यदि संस्था द्वारा विश्वविद्यालय की परिनियमावली / अध्यादेश में वर्णित तथा शासन एवं विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित शर्ती 05 एवं मानकों की पूर्णता एवं उनकी निरन्तरता को सुनिश्चित नहीं किया जायेगा तो उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम् 1973 के प्राविधानों के अन्तर्गत संस्था को प्रदान की गई सम्बद्धता वापस लिये जाने की कार्यवाही नियमानुसार की जायेगी।

माननीय कार्य परिषद की स्वीकृति दिनांक 21.06.2017 के आलोक में कुलपति जी के आदेशानुसार एन0आई0एम0टी0 विधि एवं कानून संस्थान, नॉलेज पार्क-1, प्लाट नं0-41, कासना रोड, परी चौक, ग्रेटर नोएडा को विधि संकायान्तर्गत स्नातक स्तर पर एल-एल०बी० (पाँच वर्षीय) पाठ्यक्रम में उपरोक्त शर्तों के अधीन दिनांक 01.07.2017 से आगामी पाँच वर्ष हेतु सम्बद्धता की स्वीकृति इस शर्त के साथ प्रदान की जाती है इसी क्रम में यह भी सूच्य है कि उक्त पाठयक्रम में छात्रों के प्रवेश विश्वविद्यालय के निर्देशों के अनुसार किये जायेंगे।

भवदीय,

कुलसचिव

प्रतिलिपि :-

3.

श्राप :-सचिव, उच्च शिक्षा अनुभाग-2, उत्तर प्रदेश शासन, लखनऊ को सूचनार्थ प्रेषित।
सचिव, एन0आई०एम०टी० विधि एवं कानून संस्थान, नॉलेज पार्क-1, प्लाट नं0-41, कासना रोड, परी चौक, ग्रेटर नोएडा।
सहायक कुलसचिव (लेखा) को सूचनार्थ।
प्रभारी, कमटी सैल, चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय को सूचनार्थ प्रेषित।
प्रभारी, स्टोर, चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय को सूचनार्थ प्रेषित।
प्रभारी, गोपनीय (प्रोफेशनल/परीक्षा) सैल, चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय को सूचनार्थ प्रेषित।
प्रभारी, इंटरनैट को इस आशय के साथ प्रेषित कि वह संदर्भित संस्थान/पाठ्यक्रम का नाम बैवसाईट पर डालने का कष्ट करें।

कर। गार्ड फाइल हेतु।

कुलसचिव

Pour spir

## चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय, मेरठ Ch. Charan Singh University, Meerut



पत्रांक :- सम्बद्धता / 1694

दिनांक : 2-8.6.20 19

#### जिस किसी से सम्बन्धित हो

प्रमाणित किया जाता है कि दून कालेज ऑफ लॉ, सुन्दरपुर, सहारनपुर को चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय, मेरठ से सम्बद्ध स्ववित्त पोषित योजना के अंतर्गत संचालित महाविद्यालय है तथा महाविद्यालय में एल0एल0बी0 (तीन वर्षीय) एवं बी0ए0-एल0एल0बी0 (पॉच वर्षीय) पाठ्यक्रम संचालित है तथा विश्वविद्यालय द्वारा उक्त पाठ्यक्रमों में महाविद्यालय को क्रमशः दिनांक 01.07.2006 एवं 01.07.2008 से स्थाई सम्बद्धता प्राप्त है।

### चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय, मेरठ Ch. Charan Singh University, Meerut



पत्रांक :- सम्बद्धता/। ८२८

दिनांक : 22.6.2019

#### जिस किसी से सम्बन्धित हो

प्रमाणित किया जाता है कि इन्द्रप्रस्थ लॉ कालेज, के0पी0—3, ग्रेटर नोएड़ा (गौतमबुद्धनगर) को चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय, मेरठ से सम्बद्ध स्ववित्त पोषित योजना के अंतर्गत संचालित महाविद्यालय है तथा महाविद्यालय में एल0एल0बी0 (तीन वर्षीय) पाठ्यक्रम संचालित है तथा विश्वविद्यालय द्वारा उक्त पाठ्यक्रम में महाविद्यालय को दिनांक 01.07.2015 से स्थाई सम्बद्धता प्राप्त है।

भवदीय

कुलसचिव

#### चौधरी चरण शिंह विश्वविद्यालय, मेरठ Ch. Charan Singh University, Meerut



पत्रांक : सम्बद्धता//ने हैं दिनांक : ७२-०७-४८५१

सेवा में,

सचिव

बार कौंसिल ऑफ इण्डिया

21, राउज एवेन्यू, इंस्टीट्यूशनल एरिया

नई दिल्ली

विषय :- बार कौंसिल ऑफ इण्डिया की नियमावली पार्ट IV Chapter III के विन्दु 16(1) एवं (2) के सम्बन्ध में।

महोदय,

इन्द्रप्रस्थ लॉ कालेज, ग्रेटर नोएड़ा को एल०एल०बी० (पॉच वर्षीय) पाठ्यद्र मों में असाधारण गजट नोटिफिकेशन संख्या—975/79— वि—1—14—1(क)19/2014 दिनांक 18.07.2014 द्वारा उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम 1978 की धारा—37 की उपजारा—2 द्वारा प्रदत्त अधिकार के तहत भाननाथ कार्यपारंषद की स्वीकृति के आलोक में दिनांक 01.07.2019 से अंगामी पाँच वर्ष हेतु सम्बद्धता की स्वीकृति प्रदान की गयी है।

अवगत कराना है कि विश्वविद्यालय द्वारा उपरोक्त पाठ्यक्रम में सम्बद्धता प्रदान करते हुए बार कौंसिल ऑफ इण्डिया की नियमावली पार्ट IV Chapter III के बिन्दु 16(1) एवं (2) का संज्ञान लेने के बाद ही विश्वविद्यालय द्वारा सम्बद्धता प्रदान की गयी है। यदि बार काउन्सिल द्वारा संदर्भित संस्थान को शैक्षिक सत्र 2019—2020 से सीटों की अनुमित प्रदान की जाती है तो विश्वविद्यालय को कोई आपित्त नहीं होगी। संलग्नक—उपरोक्तानुसार।

भवदीय,

प्रतिलिपि :--

01. सचिव, इन्द्रप्रस्थ लॉ कालेज, ग्रेटर नोएड़ा को सूचनार्थ प्रेषित।

कुलसचिव कुलसचिव

lalit(45)